

**न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली (राज0)**

नोटिस

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोरोना वायरस" (Novel Corona Virus (COVID-19) को महामारी घोषित करने के पश्चात व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई/2020 दिनांक 14.04.2020 एवं 18/पी.आई/2020 दिनांक 17.05.2020 तथा 19/पी.आई/2020 दिनांक 30.05.2020 की पालना में इस न्यायालय में जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, जमानत अपील किशोर न्याय बोर्ड आदि आवश्यक प्रकृति के मामलो की सुनवाई के अलावा आगामी तारीख पेशीयों हेतु नियत पत्रावलियों उनके सम्मुख अंकित निम्न आगामी तारीख पेशीयों में नियत की जाती है तथा आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई का समय प्रातः 8.30 से 12.30 तक रहेगा।

क.सं.	नियत तिथि	आगामी तिथि
1	01.06.2020	20.06.2020
2	02.06.2020	22.06.2020
3	03.06.2020	23.06.2020
4	04.06.2020	24.06.2020
5	05.06.2020	25.06.2020
6	06.06.2020	26.06.2020
7	08.06.2020	29.06.2020
8	09.06.2020	30.06.2020
9	10.06.2020	01.07.2020
10	11.06.2020	02.07.2020
11	12.06.2020	03.07.2020



विशिष्ट न्यायाधीश,


लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली

क्रमांक/रीडर/2020/255

दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।
2. अध्यक्ष, जिला बार संघ करौली को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. सिस्टम ऑफिसर करौली को जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. नोटिस बोर्ड, करौली/निजी पत्रावली



विशिष्ट न्यायाधीश,

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 करौली